Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 140–2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 5, 2022 (SRAVANA 14, 1944 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 5th August, 2022

No. 19-HLA of 2022/66/15818.— The Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 19-HLA of 2022.

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Act, 2022.

Amendment of section 306 of Central Act 2 of 1974.

2. For clause (b) of sub-section (4) of section 306 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) may, in case he is already in custody, be detained in such custody for such period, as the Court may consider necessary for reasons to be recorded in writing, or be released on bail on such conditions as the Court may think fit for the purposes of this section.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The condition of mandatory detention of the approver in custody till conclusion of trial in Clause (b) of Sub-section 4 of Section 306 of the Code of Criminal Procedure, 1973, is discriminatory and creates artificial classification between two types of persons willing to be approver-those who are already on bail and those who are not on bail. This classification has no rationale or connection with the object sought to be achieved. It also interferes with/restricts the discretion of the Magistrate/Court granting tender of pardon, works as deterrent to the accused persons who are otherwise willing to turn approver and causes disadvantage to the investigating agencies.

The 'Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill, 2022' relates to amendment in clause (b) of sub-section (4) of section 306 of the Code of Criminal Procedure 1973 to make provisions regarding bail to the approver. Hence, the Bill.

ANIL VIJ,
Home Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 5th August, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 19 एच.एल.ए.

दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2022
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की धारा 306 का संशोधन।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 की उप–धारा (4) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ख) प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह पहले से ही अभिरक्षा में है, को ऐसी अवधि के लिए ऐसी अभिरक्षा में निरूद्ध किया जा सकता है, जो न्यायालय लिखित में लिपिबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवश्यक समझे, या जमानत पर ऐसी शर्तों पर रिहा किया जा सकता है, जो न्यायालय इस धारा के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त समझे।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 की उप–धारा (4) के खण्ड (ख) में क्षमा दान प्राप्त साक्षी को विचारण की समाप्ति तक अभिरक्षा में रखने की अनिवार्यता भेदभावपूर्ण है तथा दो प्रकार के क्षमा दान प्राप्त साक्षियों–वें जो पहले से ही जमानत पर हैं तथा वे जो जमानत पर नही हैं। इस वर्गीकरण का कोई तर्क व प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध नही हैं। यह दण्डाधिकारी/न्यायालय द्वारा क्षमादान देने के विवेक में भी हस्तक्षेप करता है/उसे सीमित करता है, ऐसे आरोपियों, जो अन्यथा क्षमा दान प्राप्त साक्षी बनने के इच्छुक है, को हतोत्साहित करता है तथा अन्वेषण अभिकरणों का भी अहित करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2022 एक ऐसा विधेयक है, जो कि क्षमा दान प्राप्त साक्षी की जमानत के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 की उप–धारा (4) के खण्ड (ख) में संशोधन से सम्बन्धित है। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

अनिल विज,
गृह मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 5 अगस्त, 2022.

आर. के. नांदल,
सचिव।

9797—H.V.S.—H.G.P. Pkl.